

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

कमांक: एफ15/(6)/(13)/विधि/आईसीडीएस/2013

19950-20302


जयपुर दिनांक: 11/2/19

समस्त प्रभारी अधिकारी (वाद) मुख्यालय, A.C.P. (कैम्पूटर)
समस्त उप निदेशक, मबावि विभाग,
समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।

विषय:- नवनियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण का वकालतनामा माननीय उच्च न्यायालय में पेश करवाकर प्रभावी पैरवी करवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विधि विभाग के आदेश दिनांक 07.01.2019 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सुश्री रेखा बोराना (मो. 9414295887), अति. महाधिवक्ता व माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के लिए सुश्री शीतल मिर्धा (मो. 9001028028), अति. महाधिवक्ता को महिला एवं बाल विकास विभाग (समेकित बाल विकास सेवाएं) आवंटित किया है।

अतः समेकित बाल विकास सेवाओं के जिन प्रकरणों में पूर्व अति. महाधिवक्तागण द्वारा पैरवी की जा रही थी, उन समस्त प्रकरणों में संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी के दायित्वों के अनुसार नियत दिनांक से पूर्व ही संबंधित अति. महाधिवक्तागण सुश्री रेखा बोराना/सुश्री शीतल मिर्धा से सम्पर्क कर माननीय उच्च न्यायालय में वकालतनामा पेश करवाकर प्रभावी पैरवी आदि की कार्यवाही करावे। उक्त निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें ताकि विभागीय प्रकरणों में एक पक्षीय कार्यवाही की संभावना नहीं रह सके।



निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं


राजस्थान जयपुर

कमांक: एफ15/(6)/(13)/विधि/आईसीडीएस/2013
प्रतिलिपि:

20303-304

जयपुर दिनांक: 11/2/19

1. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।



निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं

राजस्थान जयपुर